उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

i:dk'ku vuqnku fu;ekoyh&2011
¼;Fkk la'kksf/kr&2016½

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन
6 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
दूरभाष : (0522) 2614471, 2616464, 2616465
फैक्स नं0 : 0522–2616465

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

प्रकाशन–अनुदान नियमावली–2011

(यथासंशोधित–2016)

भूमिका :

यह अनुभव किया गया है कि अपवादों को छोड़कर प्रायः अधिकांश प्रकाशक लेखकों के साथ न्याय नहीं करते है। इसलिए लेखकों के कल्याण के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशन अनुदान योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत लेखक स्वयं व्यक्तिगत आय स्रोतों से अपनी कृति के प्रकाशन के लिए एक चौथाई धनराशि लगायेंगे तथा तीन चौथाई धनराशि संस्थान द्वारा प्रकाशन अनुदान के रूप में प्रदान की जायगी, यदि विशेषज्ञों द्वारा वह स्तरीय और श्रेष्ठ पायी जाती है। इस प्रकार से इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशन–अनुदान की स्वीकृति में कृतियों की गुणवत्ता मूल आधार होगी।

इस योजना के अन्तर्गत दिवंगत साहित्यकार की कृतियों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से उनके उत्तराधिकारी (जिसे उनकी कृतियों के प्रकाशित करने के अधिकार प्राप्त हों) को भी प्रकाशन–अनुदान दिया जा सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशन अनुदान स्वीकृत करने हेतु ऐसे रचनाकारों को वरीयता दी जायेगी जिनकी एक भी कृति प्रकाशित नहीं हुई है।

योजना हेतु नियम एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया :

1– इस योजना के अन्तर्गत किसी रचनाकार की उत्कृष्ट कोटि की पाण्डुलिपि के मुद्रण/प्रकाशन हेतु अनावर्तक अनुदान मात्र एक बार दिया जायगा।

2– प्रकाशन अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा अधिकृत प्रारूप पर स्वीकार किया जायगा।

3– केवल हिन्दी की पाण्डुलिपियों के मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु अनुदान दिया जायगा।

4– हिन्दी संस्थान जहाँ आवश्यक समझे, पाण्डुलिपि की उत्कृष्टता के विषय में किसी विशेषज्ञ की राय ले सकता है।

5– जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित लेखक अथवा लेखक के उत्तराधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र देने पर अनुदान प्रार्थना–पत्र नियमावली की शर्तों के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है।

6– पत्र–पत्रिका आदि के प्रकाशन हेतु कोई अनुदान अथवा सहायता नहीं दी जायगी।

7– प्रकाशन–अनुदान पुस्तक के मुद्रण एवं प्रकाशन पर होने वाले व्यय का तीन चौथाई भाग, जो रु0 30,000=00 (रुपये तीस हजार)से अधिक नहीं होगा, दिया जायगा।

8– पुस्तक की उपयोगिता/उपादेयता के विषय में दो लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों की संस्तुति अनिवार्य रूप से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

9– अनुदान से सम्बन्धित आवेदन–पत्र के साथ तीन प्रेसों की मुद्रण–दर, व्यय–विवरण सहित देना अनिवार्य होगा। जिस मुद्रक की दरें न्यूनतम होगी उसी मुद्रक/प्रकाशक से मुद्रण कार्य कराना होगा।

10— इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तक की 5 प्रतियाँ संस्थान को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

11— अनुदान अथवा कोई भी भाग किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जायगा।

12— पुस्तक का प्रकाशन किसी प्रकाशक से अथवा स्वयं लेखक द्वारा कराया जायेगा।

13— अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित लेखों की निरीक्षा किसी भी समय निदेशक, हिन्दी संस्थान अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जा सकती है। अनुदान अथवा उसका कोई अंश अनुप्रयुक्त पाया गया तो उसको मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार हिन्दी संस्थान को होगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर कोई आपत्ति/प्रतिवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

14— यह अनुदान पाठ्य पुस्तकों तथा विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए प्रस्तुत शोध—ग्रन्थों सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु नहीं दिया जायगा।

15— जिस पुस्तक के प्रकाशन के लिए किसी अन्य संस्था/सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता मिली हो, उसे भी अनुदान नहीं दिया जायगा।

16— प्रकाशन अनुदान हेतु प्रार्थना—पत्रों पर संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा। इस पर कोई आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायगा।

17— प्रकाशन अनुदान उत्तर प्रदेश में जन्में अथवा उ0प्र0 में पिछले दस वर्षों से लगातार रह रहे साहित्यकारों/ लेखकों को ही दिया जायगा। यह अनुदान अहिन्दी प्रदेश में रहने वाले उन साहित्यकारों/ लेखकों को भी अनुमन्य होगा, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है।

18— प्रकाशन अनुदान स्वीकृत किये जाने के बाद रचनाकार को स्वीकृति की सूचना इस शर्त के साथ दी जायेगी कि पुस्तक की छपाई प्रारम्भ कर दी जाय ओर सोलह पृष्ठों का कम से कम एक फार्म प्रस्तुत किया जाय।

19— अनुदान स्वीकृति की तिथि से एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पुस्तक का प्रथम फार्म (16 पृष्ठ) प्राप्त हो जाना चाहिए, अथवा स्वीकृत अनुदान रद्द कर दिया जायगा। साथ ही तीन माह के अन्दर पुस्तक की 5 प्रतियाँ प्राप्त हो जानी चाहिए। पुस्तक तीन माह के अन्दर प्राप्त न होने की स्थिति में आदेश रद्द समझा जायेगा।

20— प्रकाशन अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 6, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को भेजे जा सकते हैं।

21— प्रत्येक पुस्तक के भीतरी कवर—पेज के द्वितीय पृष्ठ पर यह तथ्य स्पष्टतया अंकित करना होगा कि 'पुस्तक का प्रकाशन वित्तीय वर्ष ..... में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की प्रकाशन—अनुदान योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण किया गया है।

22— पुस्तक की 5 प्रतियाँ ठीक दशा में संस्थान में जमा करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान किया जायगा।

23— उपरोक्त नियमों को समावेशित करते हुए, अनुदान प्राप्ति के पूर्व, प्रार्थी को संस्थान के साथ एक सौ रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक अनुबन्ध करना होगा।

24— यह अनुदान ऐसे रचनाकारों को दिया जायगा जिनकी वार्षिक आय रु0 5.00 लाख (रु0 पाँच लाख) (समस्त स्रोतों) से अधिक नहीं है।

25— प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

प्रकाशन–अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1– रचनाकार का नाम .....

2– पिता का नाम .....

3– जन्म तिथि.....

4– शैक्षिक योग्यता.....

5– वर्तमान सेवापद/व्यवसाय .....

6– कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या .....

7– रचनाकार/प्रार्थी की दृष्टि से उनकी श्रेष्ठतम पुस्तकों .....
के नाम, प्रकाशन वर्ष तथा प्रकाशक का नाम .....
(तीन से अधिक पुस्तकों का विवरण न दें तथा इन .....
पुस्तकों की एक–एक प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें).....

8– अन्य भाषाओं में रचनाकार की हिन्दी से अनूदित.....
कृतियों के नाम (यदि कोई हो).....

9– पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई प्राप्त हुआ हो।).....

10– अनुदान हेतु आवेदित कृति का नाम, विषय का .....
विवरण तथा उपयोगिता.....

11– दो लब्ध–प्रतिष्ठ साहित्यकारों के नाम तथा पते.....
जिनकी प्रश्नगत कृति पर संस्तुति इसके.....
साथ संलग्न की गयी है।.....

12– प्रश्नगत कृति के प्रकाशन पर कुल अनुमानित व्यय.....

13– प्रकाशन की अनुमानित पृष्ठ संख्या तथा पृष्ठ–माप.....
कागज का वजन तथा किस्म.....

14– प्रश्नगत प्रकाशन की जिल्दबन्दी (पेपर बैक अथवा.....
हार्ड बाउण्ड आदि) का विवरण.....

15– रंगीन एवं श्वेत–श्याम चित्रों की संख्या.....

16– तीन मुद्रकों के नाम तथा पते, जिनके प्रश्नगत पुस्तक .....
पर मुद्रण एवं प्रकाशन व्यय (मूल्य/व्यय) अनुमान संलग्न किये है।.....

17– समस्त स्रोतो से वार्षिक आय (सम्बन्धित तहसीलदार/परगनाधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य).....

18– अन्य आवश्यक सूचना.....

19— इस प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों की सूची :

(क) दो साहित्यकारों की संस्तुतियाँ : संलग्न/नहीं संलग्न

(ख) तीन मुद्रकों के प्रकाशन व्यय—अनुमान : संलग्न/नहीं संलग्न

(ग) संलग्न पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की संख्या .....

(घ) उत्तर प्रदेश पिछले दस वर्षों से लगातार रहने से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र (केवल उनके लिए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, यह नियम अहिन्दी भाषियों तथा अहिन्दी प्रदेश में रहने वालों के लिए लागू नहीं होगा।) : संलग्न/नहीं संलग्न

(ङ) वार्षिक आय प्रमाण पत्र : संलग्न/नहीं संलग्न

घोषणा—पत्र

मैं वचनबद्ध हूँ कि कृति का प्रकाशन मेरे द्वारा/स्वामित्व में किया जायगा तथा यह अनुदान किसी अन्य प्रकाशन संस्थान को हस्तान्तरित नहीं किया जायगा।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सर्वथा सत्य है। मैं अनुदान स्वीकृत होने की दशा में संस्थान के तत्सम्बन्धी सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इससे पूर्व इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु न तो मैंने किसी अन्य संस्था/शासन से प्रकाशन अनुदान प्राप्त किया है और न ही पुस्तक प्रकाशित हो जाने के उपरान्त किसी अन्य संस्था से प्रकाशन अनुदान प्राप्त करूँगा/करूँगी।

दिनांक.....

रचनाकार के हस्ताक्षर.....

नाम .....

पता.....

.....

.....

दूरभाष : .....

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

अनुबन्ध–पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक ..... सन् दो हजार .....को श्री .....पुत्र श्री..... निवासी ..... (जो आगे से लेखक/लेखक के उत्तराधिकारी/अनुदान प्राप्तकर्ता के नाम से सम्बोधित होगा प्रथम पक्ष) एवं उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ (जो आगे से अनुदान देने वाला संस्थान, के नाम से सम्बोधित होगा द्वितीय पक्ष) के मध्य निष्पादित हुआ। इस अनुबन्ध के द्वारा उभय पक्ष निम्न प्रकार बचनबद्ध होते हैं :–

यह अनुबन्ध अनुदान की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

1– यह कि लेखक/लेखक के उत्तराधिकारी ने .... शीर्षक पाण्डुलिपि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रकाशन अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर दी है और संस्थान द्वारा इसे अनुदान हेतु स्वीकार कर लिया गया है।

2– यह कि लेखक द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि के मुद्रण हेतु संस्थान अपनी निर्धारित शर्तों के अनुरूप अनुदान उपलब्ध करायेगा।

3– यह कि पुस्तक का प्रकाशन प्रार्थना–पत्र में दिये गये विवरण के अनुसार होना अनिवार्य है।

4– यह कि संस्थान लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रकाशन व्यय पर होने वाले व्यय की समीक्षा कर सकता है।

5– यह कि प्रकाशन अनुदान रुपया 30,000=00 से अधिक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6– यह कि पुस्तक का मुद्रण यदि संस्थान की दृष्टि में उचित ढंग से नहीं किया गया है तो देय भुगतान में कटौती की जा सकती है।

7– यह कि अनुदान अथवा उसका कोई भाग किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी प्रयोजन में उपभोग नहीं किया जायेगा।

8– यह कि अनुदान पाठ्य पुस्तक/शोध ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु देय नहीं होगा।

9– यह कि जिस पुस्तक के प्रकाशन पर संस्थान से अनुदान प्राप्त किया गया है उसी पुस्तक पर अन्य संस्था/सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जायेगी।

10– यह कि अनुदान की स्वीकृति के उपरान्त मुद्रित प्रथम 16 पृष्ठ (नमूने के रूप में) अर्थात एक फार्म लेखक को प्रस्तुत करना होगा। यह कार्य अनुबन्ध की तिथि से एक माह में अथवा स्वीकृत पत्र में दी गयी तिथि तक पूर्ण करना होगा अन्यथा अनुदान अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11— यह कि पुस्तक का मुद्रित प्रथम फार्म संस्थान को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।

12— यह कि पुस्तक मुद्रण के उपरान्त प्रतियों की संख्या का प्रमाण पत्र मुद्रक से प्राप्त करके लेखक द्वारा अन्तिम भुगतान के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

13— यह कि सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग अनुदान स्वीकृति की तिथि से 03 माह में पूर्ण करना आवश्यक है।

14— यह कि मुद्रित करायी गयी समस्त पुस्तकों के कवर पृष्ठ के द्वितीय पृष्ठ पर **'पुस्तक का प्रकाशन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में किया गया'** अंकित किया जायेगा।

15— यह कि पुस्तक मुद्रण के उपरान्त 05 प्रतियाँ संस्थान को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जायेगी।

16— पुस्तक की 05 मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त मुद्रित पुस्तकों की निरीक्षा प्रकाशन प्रभाग द्वारा (गुणवत्ता का प्रमाण) करने के उपरान्त स्वीकृत अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

17— यह कि मुद्रित प्रतियों की प्राप्ति तिथि से एक माह के भीतर संस्थान शेष अनुदान की धनराशि का भुगतान करेगा।

18— यह कि अनुदान की धनराशि के लेखों की निरीक्षा किसी भी समय निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। अनुदान अथवा उसका कोई अंश अनुप्रयुक्त पाये जाने पर मालगुजारी के बकाया के रूप में समस्त धनराशि की वसूली का अधिकार उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को होगा। इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर कोई आपत्ति/प्रतिवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

19— यह कि अनुदान को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को होगा।

प्रथम पक्ष — लेखक	द्वितीय पक्ष — निदेशक, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षीगण नाम व पते सहित	साक्षीगण नाम व पते सहित
1—	1—
2—	2—